# न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 69/2009(आरसीएमएस संख्या : 2009/00097)

सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर, जिला–जयपुर। प्रार्थी,

बनाम

विशनदेव पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति–ब्राह्मण, निवासी–सी–91, पानी–पेच, जयपुर। अप्रार्थी,

( राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 )

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. विजय कुमार शर्मा, अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से।

## निर्णय

दिनांक : 25.10.2019

तहसीलदार, जयपुर द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम माचवा की आराजी खसरा नम्बर 29 मि0 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 29 मि0 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा में से 1 बीघा 18 बिस्वा विश्वनाथ पुत्र श्री पुरूषोत्तम, जाति–ब्राह्मण, साकिन जयपुर के हक में दिनांकत्र 09.09.1976 को नियमन/आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–1084 विश्वनाथ के नाम दर्ज होकर गैर–खातेदारी तत्पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या– 1104 खातेदारी दिये जाने के फलस्वरूप आवंटी राजस्व अभिलेख में खातेदार –काश्तकार दर्ज रहा है और वादग्रस्त आराजी को विक्रय किये जाने के कारण क्रेता विशनदेव पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या–1116 दर्ज होकर नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में दर्ज गैर–मुमकीन नदी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकीन नदी दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम माचवा की आराजी खसरा नम्बर 29 मि0 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर

अति. कलक्टर (द्वि.) जयपुर

29 मि0 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा में से 1 बीघा 18 बिस्वा विश्वनाथ पुत्र श्री पुरूषोत्तम, जाति – ब्राह्मण, साकिन जयपुर के हक में दिनांक 09.09.1976 को नियमन/आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–1084 विश्वनाथ के नाम दर्ज होकर गैर–खातेदारी तत्पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या–1104 खातेदारी दिये जाने के फलस्वरूप आवंटी राजस्व अभिलेख में खातेदार–काश्तकार दर्ज रहा है और वादग्रस्त आराजी को विक्रय किये जाने के कारण क्रेता विशनदेव पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या– 1116 दर्ज होकर नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त खसरा नम्बर 29 मि0 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी में से 1 बीघा 18 बिस्वा विश्वनाथ पुत्र श्री पुरूषोत्तम को उप खण्ड अधिकारी, जयपुर द्वारा दिनांक 09.09.1976 को नियमन /आवंटन किया गया हैं। जिसका इन्द्राज नामान्तरकरण सं0–1084 के कॉलम सं0–14 पर है, नियमों के विपरीत अवैध रूप से नियमन/आवंटित की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में यह आराजी गैर–मुमकीन नदी दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी नियमन/आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन दिनांक 09.09.1976 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 राज्य सरकार द्वारा बनाये गये है और ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावशील हुए है। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नदी की आराजी को दिनांक 09.09.1976 को विश्वनाथ पुत्र श्री पुरूषोत्तम, जाति–ब्राह्मण को नियमन/आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज और पश्चातवर्ती प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में नियमन/आवंटन एवं नियमन/आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में

अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री विजय कुमार शर्मा का कथन है कि विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जयपुर द्वारा जो रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत किया गया है वह मौका एवं राजस्व रिकार्ड के सर्वथा प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। राजस्व ग्राम माचवा में स्थित खसरा नम्बर 29 मि0 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि का उपयोग व उपभोग कभी भी नदी,. नाला के रूप में नहीं हुआ और न ही हो रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभावशील होने से पूर्व एवं पश्चात निरन्तर वादग्रस्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग–उपभोग होता आ रहा है और वर्तमान में राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त भूमि की किस्म बारानी सोयम दर्ज है जो कि कृषि भूमि की किस्म है। इस आधार पर भी प्रश्नगत रेफरेन्स सर्वथा गलत तथ्यों एवं राजस्व अभिलेख एवं मौका स्थिति के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान् अधीनस्थ तहसीलदार, जयपुर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय–निर्देश दिनांकित 02.08.2004 को प्रश्नगत रेफरेन्स का आधार बनाया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय–निर्देश प्रश्नगत मामले में लागू एवं चस्पा नहीं होते है। क्योंकि वादग्रस्त आराजी का प्रारंभ से ही उपयोग एवं उपभोग कृषि प्रयोजनार्थ होता आ रहा है। सम्वत् 2015–2034 में वादग्रस्त आराजी की किस्म गैर–मुमकिन नदी गलत दर्ज हो जाने के पश्चात् भू –प्रबन्ध विभाग ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम / राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमानुसार आराजी की किस्म बारानी सोयम दर्ज कर दी जो मौके स्थिति एवं मौके पर भू–उपयोग के अनुरूप होने से पूर्णतया न्यायसंगत है। इस प्रकार मौके पर न तो कभी नदी रही है और न आज नदी का रूप कोई मौजूद है। रेफरेन्स जो प्रस्तुत किया गया है वह एक अर्से दराज पश्चात् प्रस्तुत किया गया है जो अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण खारिज योग्य है। रेफरेन्स किसी आदेश के विरूद्ध ही प्रस्तुत किया जा सकता है परन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसे किसी आदेश का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे वह व्यथीत हो व उसे चुनौती दी जाकर निरस्त कराने की इस्तदुआ की गई हो। वादग्रस्त आराजी का जबसे रिकार्ड ऑफ राइट्स तैयार हुआ है तबसे अप्रार्थी बतौर टीनेन्ट काबिज चला आ रहा है और काश्त करता रहा है। धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम में रिकार्ड ऑफ राइट्स की दुरूस्ती करने का प्रावधान नहीं है। एकीकरण में

तैयार किये गये रिकार्ड को निरस्त करने का प्रावधान भूमि एकीकरण की तत्संबंधी कानून के अनुसार ही हो सकती है जो की गई थी और उस इन्द्राज को अब धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र तथ्यों के परे विधि–विरूद्ध एवं सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 ग्राम माचवा की आराजी खसरा नम्बर 29 मि0 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 29 मि0 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा में से 1 बीघा 18 बिस्वा विश्वनाथ पुत्र श्री पुरूषोत्तम, जाति– ब्राह्मण, साकिन जयपुर के हक में दिनांक 09.09.1976 को नियमन/आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–1084 विश्वनाथ के नाम दर्ज होकर गैर–खातेदारी तत्पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या–1104 खातेदारी दिये जाने के फलस्वरूप आवंटी राजस्व अभिलेख में खातेदार–काश्तकार दर्ज रहा है और वादग्रस्त आराजी को विक्रय किये जाने के कारण क्रेता विशनदेव पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या–1116 दर्ज होकर नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में दर्ज गैर–मुमकीन नदी आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् पैरोकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक 09.09.1976 को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकीन नदी दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2015–2034 से होती है और इस आराजी का नियमन/आवंटन विश्वनाथ पुत्र श्री पुरूषोत्तम, जाति–ब्राह्मण को दिनांक 09.09.1976 को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0–1084 ग्राम–माचवा से होती है। खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या–1104 स्वीकार किया गया हैं और वादग्रस्त आराजी को विक्रय किये जाने के फलस्वरूप क्रेता विशनदेव के नाम नामान्तरकरण संख्या–1116 स्वीकार किया गया हैं। विवादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकीन नदी की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु

अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नदी भूमि का नियमन/आवंटन कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकीन नदी भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त खसरा नम्बर 29 मि0 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी वाके ग्राम–माचवा में से 1 बीघा 18 बिस्वा (जिसके हाल आ.ख. नम्बर 29 मि0 है) नियमन/आवंटन दिनांक 09.09.1976 बहक विश्वनाथ पुत्र श्री पुरूषोत्तम, जाति–ब्राह्मण को निरस्त करने एवं इस नियमन/आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक गैर–मुमकीन नदी दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकारान को दिनांक 13.01. 2020 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 25.10.2019 को सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर